न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दूदू जिला जयपुर, राज0

श्री बीरबल सिंह शेखावत (आर0ए0एस0)
(पीठासीन अधिकारी)

प्रार्थना पत्र संख्या 78/2021

निर्णय दिनांक 07.4.2021

1 मोहम्मद मेहराज नागौरी पुत्र मुराद खॉ जाति मुसलमान निवासी मौजमाबाद जिला जयपुर

– प्रार्थी

बनाम

1 सरपंच ग्राम पंचायत मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर

2 सचिव ग्राम पंचायत मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर

– अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी मेहराज पुत्र नागौरी पुत्र मुराद खॉ नागारी जाति मुसलमान निवासी मौजमाबाद के द्वारा उक्त पटटे शुदा भूखण्ड पर पजेशन दिलवाने बाबत पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षेपसार इस प्रकार से है।

प्रार्थी को ग्राम पंचायत मौजमाबाद से दिनांक 05.09.2019 को पटटा संख्या 75 बुक संख्या 10 मिसल संख्या 121/17–18 दायर दिनांक 30.5.2017 को 300 वगैगज भूमि का पटटा जारी किया गया है तथा पटटा जारी करने एवं भूखण्ड कीमत 50,000/–रूपये प्राप्त कर लिये है। तथा 11,00/– रूपये की रसीद संख्या 973 दिनांक 16.09.2019 जारी कर दी गई है। जबकि प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड को बोली लगाकर खूली निविदा के तहत छुडवाया था। परन्तु प्रार्थी को पटटा तो जारी कर दिया गया है परन्तु भूखण्ड मौके पर सम्भलवा नही रहे है। तथा भूखण्ड का पजेशन देने से इन्कार हो रहे है। जब प्रार्थी ने सरपंच व संचिव से भूखण्ड देने हेतु कहा तो अब उक्त लोग साफ इन्कार हेा गये । पटटा के अनुसार जो दिशाये व नाम चौक दर्शायी गई है। वहा पर कोई भूखण्ड मौजूद नही है। उक्त कार्य सरपंच हीरालाल व सचिल लाल मोहम्मद ने मिली भगत से रूप्ये ऐंठ लिये है। तथा भूखण्ड की पजेशन सम्भलवाने से इन्कार कर रहे है। अतः पटटे शुदा भूखण्ड का पजेशन दिलवाये।

सरंपच व सचिव ग्राम पंचायत मौजमाबाद को नोटिस दिया गया।

सचिव की और से राधेश्याम लक्षकार एडवोकेट ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि ग्राम पंचायत मौजमाबाद द्वारा कानूनी प्रकिया अपनाते हुये उक्त पटटा जारी किया गया है। जिसमे प्रार्थी को 1100 रूप्ये की रसीद अदा की गई हैं जिस पर प्रार्थी के हस्ताक्षर भी है तथा पटटा प्राप्त किया है। उस पर भी प्रार्थी के हस्ताक्षर है। जो भूखण्ड की कीमत 50,000/– रूपये की गई है न तो यह रकम दी गई है। केवल मात्र झूठा आरोप लगाया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (जयपुर)

है। जो सरासर गलत है प्रार्थी के आवेदन पर उक्त पटटा जारी किया गया है। जिसमे नाम व सीमायें अंकित है और जहा प्रार्थी को कब्जा है उसी जगह का पटटा कानूनी प्रकिया अपनाते हुऐ जारी किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र झुठे तथ्यो के आधार पर मात्र हैरान परेशान करने के लिए पेश किया गया है। जो मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस दिनांक 7.4.2021 को प्रार्थी उपस्थित नही हुआ। अप्रार्थी ने के अधिवक्ता द्वारा बहस की गई बहस में जवाब में पेश किये गये कथन को दोहराया गया। साथ ही दस्तावेज पेश किये गये। हमने प्रार्थना पत्र व जवाब व प्रस्तुत दस्तावेजो को अवलोकन किया तो पाया की प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसाार ग्राम पंचायत मौजमाबाद द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुऐ प्रार्थी को दिनांक 05.9.2019 को पटटा जारी किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 7.4.2021 को खुले मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बीरबलसिंह शेखावत

अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर

दूदू (जयपुर)

एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट

दूदू जिला जयपुर, राज0